# कार्यालय उपायुक्त (फायर) नगर निगम ग्रेटर जयपुर

**(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोक रोड जयपुर।)**

क्रमांकः एफ.9( )उपा.फा/ज.न.नि./22–23 / 707 दिनांक 01/3/23

**श्री विकास खत्री,**
**पुत्र श्री रजनी कान्त,**
**मैनेजर, महाप्रज्ञ इन्टरनेशनल स्कूल,**
**निर्माण नगर जयपुर।**

विषयः– अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एव अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल ज्ञान विहार जनपथ, निर्माण नगर जयपुर में निर्मित महाप्रज्ञ इन्टरनेशनल स्कूल की अग्निशमन अनापत्ति की वार्षिक नवीनीकरण किये जाने हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री राजेन्द्र नागर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। **भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपायोग नही किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** वार्षिक नवीनीकरण रिपोर्ट जारी किये जाने के पश्चात यदि किसी भी कार्य दिवस में स्थल का औचक निरीक्षण किया जाता है और अग्निशमन यन्त्र अकार्यशील अवस्था/बन्द पाये जाते है तो उक्त लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी उक्त फर्म/संस्थान की स्वंय की होगी, व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थल पर किसी भी प्रकार का संशोधित निर्माण किये जाने से पूर्व इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

इस विभाग द्वारा पूर्व जारी पत्रांक एफ.9 ( ) आ.फा./न.नि.ज/17/2429 दिनांक 01.02.2018 में अंकित शर्ते यथावत रहेगी।
यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 29.01.2024 तक नवीनीकृत किया जाता है।

**(मोनिका सोनी)**
**उपायुक्त फायर**
**नगर निगम ग्रेटर जयपुर**

E/ hotel renivel 2023/ page no 741